न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :— संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या :— 11 / 2019
दायर दिनांक :— 23.04.2019
निर्णय दिनांक :— 18.04.2022

उनवान

1. नन्दकिशोर पुत्र टोला
2. श्रवणलाल पुत्र रामसहाय
3. रामप्रताप पुत्र रामसहाय

समस्त जाति मीना निवासी रामपुरा उर्फ महाराजपुरा तहसील दौसा जिला दौसा।

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
2. उप तहसीलदार सैंथल।

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना—पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा तहसील दौसा में जिला कलक्टर, दौसा के आदेश क्रमांकः आर—2 ए (60) 98 / 4224 दिनांक 24.05.1999 के द्वारा चरागाह भूमि खसरा नम्बर 744 / 1 रकबा 17.60 है0 में से 1.00 है0 भूमि चरागाह से कम कर आबादी विस्तार हेतु सैट अपार्ट की गई है। उक्त भूमि में पूर्व से ही आबादी बसी हुई है। तहसीलदार दौसा द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव के आधार पर ही जिला कलक्टर महोदय दौसा द्वारा अपने सैट अपार्ट आदेश के साथ प्रस्तावित आबादी का नक्शा भी लाल स्याही से भूमि दर्शात हुए उक्त भूमि सैट अपार्ट की गई है।

उक्त आदेश दिनांक 24.05.1999 की अनुपालना में अप्रार्थीगण द्वारा वर्तमान नक्शा सीट में जो तरमीम की गई है, वह गलत, प्रभावशून्य व निरस्तनीय है, क्योकि उक्त तरमीम जिला कलक्टर महोदय दौसा के आदेश दिनांक 27.05.1999 के साथ संलग्न नक्शे के अनुसार वर्तमान नक्शा शीट में तरमीम नही की गई। उक्त आबादी सैकडों वर्षो से बसी हुई आबादी है, जिसमें प्रार्थीगण के कई पूर्व से पक्के मकान, पाटोल, बाडे, छप्परपोश आदि बने हुए है। आदेश के विपरीत तरमीम किये जाने से प्रार्थीगण के हक हकूक व अधिकारों को अपूर्णीय क्षति की सूरत है। अप्रार्थीगण द्वारा गलत तरमीम करने के कारण प्रार्थीगण के मकानात खसरा नम्बर 744 / 1 चरागाह के कुछ हिस्से में गलत तरीके से आ गये है जबकि प्रार्थीगण के कब्जेशुद्ध पुख्ता मकानात पूर्व प्रस्तावित आबादी जो जिला कलक्टर महोदय दौसा द्वारा आबादी में सैट अपार्ट की गई है, में ही बने हुए है। अप्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक व गलत तरीके से गलत तरमीम करके प्रार्थीगण को राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा—91 के द्वारा गलत रूप से अतिचारी मानते हुए दिनांक 01.04.2019 [illegible] दिये जाने पर उक्त तथ्य की जानकारी हुई। अप्रार्थीगण को उक्त गलत तरमीम [illegible] अवगत कराया लेकिन अप्रार्थीगण उक्त गलत तरमीम के बारे में किसी भी प्रकार से सुनने के लिए तैयार नही हैं तथा धमकिया दी जा रही है कि खसरा नम्बर 744 / 1 चरागाह में बने हुए दुकान मकानात को ह[illegible]रना हम जेसीबी लेकर इनको तोड देगे जिससे प्रार्थीगण के अधिकारों को अपूर्णीय क्षति व आर्थिक नुकसान होने की प्रबल संभावना उत्पन्न हो गई है। अतः प्रार्थीगण के कब्जे उपयोग उपभोग में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 17:05:11 IST
Reason: SelfAttested

लगातार......2.......

किसी प्रकार का दखल मदाखलत पैदा करने से व प्रार्थीगण को बेदखल करने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित करने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई है। तहसीलदार दौसा की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि जिला कलक्टर महोदय दौसा के आदेशानुसार ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा में स्थित खसरा नम्बर 744/1 में से 1.00 है0 भूमि चरागाह से कम कर आबादी मे सैट अपार्ट की गई है। आबादी भूमि के प्रस्तावित नक्शे के अनुरूप तरमीम की गई है। वादीगण का निर्माण चरागाह भूमि पर है, जो कि अतिक्रमण है। इसलिए प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज योग्य है।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। प्रार्थीगण की ओर से बहस के दौरान प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराया गया तथा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का अनुरोध किया गया। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर विचार किया गया। इस संबंध में तथ्य निम्न प्रकार है–

<u>प्रथम दृष्टया मामलाः–</u> प्रार्थीगण की ओर से यह अवगत कराया गया है कि उक्त आबादी सैकडों वर्षो से बसी हुई आबादी है, जिसमें प्रार्थीगण के कई वर्षो पूर्व से पक्के मकान, पटोल, बाडे, छप्परपोश आदि बने हुए है। आदेश के विपरीत तरमीम किये जाने से प्रार्थीगण के हक हकूक व अधिकारों को अपूर्णीय क्षति एवं आर्थिक नुकसान होने की प्रबल संभावना उत्पन्न हो गई है। जबकि तहसीलदार दौसा की ओर से प्रस्तुत जवाब में अवगत कराया गया है कि वादीगण का निर्माण चरागाह भूमि पर है, जो कि अतिक्रमण है। पत्रावली मे उपलब्ध आबादी विस्तार हेतु भेजे गये प्रस्तावों में अंकित रिपोर्ट में उक्त भूमि को मौके पर खाली बताया गया है, जबकि प्रार्थीगण ने अपने मकान आदि कई वर्षों पूर्व से बने होना बताया है, जिससे यह साबित होता है कि आबादी विस्तार हेतु प्रस्तावित की गई भूमि एवं जिस भूमि मे उनके मकान आदि बने हुए है, वह अलग–अलग है तथा इससे तहसीलदार द्वारा उनको अतिक्रमी मानने के तथ्य की भी पुष्टि होती है। चूँकि प्रार्थीगण का जो निर्माण चरागाह भूमि पर हो रहा है, वह अतिक्रमण है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

<u>सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षतिः–</u> सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु को एक साथ निस्तारित किया जा रहा है। चूँकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है। प्रार्थीगण ने राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। जिस जमीन पर उनके मकान आदि बने हुए है, उस भूमि के उनके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है। चूँकि प्रथम दृष्टिया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही है। अतः उन्हे अपूर्णीय क्षति होने की संभावना प्रतीत नही होती है।

चूँकि प्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि पर अपना वैधानिक अधिकार साबित करने में विफल रहे है। उनके द्वारा सरकारी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होते है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार जिला कलक्टर दौसा द्वारा की गई आवंटित आबादी भूमि के प्रस्तावित नक्शों के अनुरूप तरमीम की गई है। प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करने हेतु कोई वैधानिक/पर्याप्त सबूत/साक्ष्य उनकी ओर से प्रस्तुत नही किये गये है। अतः प्रार्थीगण की ओर से अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 17:05:11 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.04.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा